



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072022-237564
CG-DL-E-26072022-237564

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529]
No. 529]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 26, 2022/श्रावण 4, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 26, 2022/SHRAVANA 4, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 602(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति, नियम, 2022 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति (संशोधन), नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति नियम, 2022 के नियम (2) में, क्रम संख्या (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) श्री एस.वी. मुरलीधर राव, कार्यपालक निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ”

[फा. सं. एनएफआरए-05/6/2018-एनएफआरए-एमसीए]]

इन्द्रदीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 400(अ), तारीख 25 मई, 2022 द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2022

G.S.R. 602(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members, Rules, 2022, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members (Amendment), Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members, Rules, 2022, in rule (2), for serial number (4) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(4) Shri S.V. Murali Dhar Rao, Executive Director, Securities and Exchange Board of India”.

[F. No. NFRA-05/6/2018-NFRA-MCA]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* notification number G.S.R. 220(E), dated the 23rd March, 2022 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 400(E), dated the 25th May, 2022.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072022-237565
CG-DL-E-26072022-237565

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3214]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 26, 2022/श्रावण 4, 1944

No. 3214]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 26, 2022/SHRAVANA 4, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

का.आ. 3376(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुश्री स्मिता झिंगरन को 19 अप्रैल, 2022 (पूर्वाहन) अर्थात् पद ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की सेवा के निबंधन और शर्तें, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम, 2018 द्वारा शासित होगी।

[फा.सं. एनएफआरए-05/4/021-सीओएमपी-एमसीए]

इन्द्रदीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2022

S.O. 3376(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints Ms. Smita Jhingran as the full time member of the National Financial Reporting Authority for a period of three years with effect from the 19th April, 2022 (forenoon) i.e. the date on which she entered upon her office, or till she attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

2. The terms and conditions of service of the full time member, National Financial Reporting Authority shall be governed by the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018.

[F. No. NFRA-05/4/2021-Comp-MCA]]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.